समक्ष, न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियल, कैम्प सागर (म.प्र.)

पुनरीक्षण क्रमांक : निग-2527-I-16

प्रस्तुति दिनांक :

4915

58
3707/16
B.O.R.

5 JUL 2016

श्रीमती पुष्पलता पति स्व. प्रसन्न कुमार उपाध्याय
साकिन गौरीशंकर वार्ड हटा, तहसील हटा, जिला दमोह

... पुनरीक्षणकर्ता

//बनाम//

गिरीश पिता पंचमलाल खटीक
साकिन जवाहर वार्ड हटा, तहसील हटा, जिला दमोह

... उत्तरदाता

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू-रा.सं. 1959 के तहत।

पुनरीक्षण खिलाफ - न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय हटा, तहसील हटा, जिला दमोह के सीमांकन प्रकरण क्रमांक 20अ/12, वर्ष 2014-15 में पारित सीमांकन पुष्टि आदेश दिनांक 6.4.2016 के विरुद्ध।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण:-

इस प्रकार है कि पुनरीक्षणकर्ता वा उसकी नाबालिग पुत्रियां शिवा, नेहा, मेघा के नाम से मौजा गढ़िया, प.ह.नं. 7, तहसील हटा, जिला दमोह में भूमि ख.नं. 61 रकवा 0.202 एवं ख.नं. 62/3 रकवा 0.390 कुल रकवा 0.592 हे. शामिल शरीक में राजस्व अभिलेखों में दर्ज है एवं उत्तरवादी के नाम से मौजा हटा खास, प.ह.नं. 32, तहसील हटा में ख.नं. 194/2, 195, 201/3, 201/2ख रकवा क्रमशः 0.069, 0.109, 0.186, 0.333 हे. भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। पुनरीक्षणकर्ता की भूमि, जो कि मौजा गढ़िया में स्थित है वा उत्तरवादी की भूमि मौजा हटा खास में स्थित हैं, दोनों की भूमियों के बीच में हटा वा गढ़िया का मेड़ा है। उत्तरवादी राजनैतिक परिवार से संबंध रखता है वा

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निग.- 2527-एक/2016 जिला-दमोह

श्रीमती पुष्पलता विरूद्ध गिरीश खटीक

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28 -01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित। 3. प्रस्तुत निगरानी तहसीलदार हटा, जिला-दमोह के प्रकरण क्रमांक 20/अ-12/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 06-04-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी। 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 18-03-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये 28/01/19 (आर.के. जैन) सदस्य	